संख्या–741/पाँच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ, दिनांक ~~29~~ 30 मार्च 2020**

विषय–कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोथाम के सन्दर्भ में अन्य राज्यों/जनपदों से वापस आ रहे व्यक्तियों की आशा के माध्यम से ट्रैकिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि लॉकडाउन होने के कारण अन्य राज्यों/जनपदों में कार्य करने वाले लोग अपने गृह जनपद/मूल निवास पर वापस आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोथाम हेतु अन्य राज्यों/जनपदों से वापस आ रहे व्यक्तियों की आशा के माध्यम से ट्रैकिंग के लिए निम्न दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये–

1. आशा अपने क्षेत्र के सभी घरों का भ्रमण करेगी एवं ऐसे घरों को चिन्हित करेगी जहाँ अन्य राज्य/जनपदों से व्यक्ति/परिवार अपने घरों पर वापस आये हैं।
2. अन्य राज्य/जनपद से आये व्यक्ति/परिवार की सूचना, आशा संलग्न प्रपत्र में अंकित कर आशा संगिनी के माध्यम से ब्लाक पर फोन द्वारा बी0सी0पी0एम0 को उपलब्ध करायेगी। आशा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना को बी0सी0पी0एम0 द्वारा संलग्नक–2 के अनुसार संकलित कर, तत्काल https://bit.ly/3dCx7VO लिंक पर अंकित करेंगे। उक्त लिंक पर फीड की गयी संकलित सूचना डैश बोर्ड पर ब्लाक, जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों के अनुश्रवण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध रहेगी।
3. आशाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु निम्नवत् कार्य किया जाना अपेक्षित है–

- आशा द्वारा कोरोना वायरस के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
- संदिग्ध केसों की पहचान कर समय से रेफर करना।
- कार्यक्षेत्र मे आये ऐसे प्रत्येक व्यक्ति Line Listing करना, जो पिछले 14 दिवसों में किसी अन्य देश/राज्य/जनपद की यात्रा की हो। उक्त के साथ ही ऐसे व्यक्तियों की भी Line Listing करना जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आये हो अथवा ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आये हो जो कोरोना संक्रमण का संदिग्ध हो। आशा द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूचना संलग्नक–1 में दिये गये कॉलम के अनुसार दूरभाष से आशा संगिनी/बी0सी0पी0एम0 को दी जायेगी।
- ऐसे व्यक्तियों का फालोअप करना जिन्हें Home Quarantine की सलाह दी गयी हो।
- बुर्जुगों एवं ऐसे व्यक्ति जो बीमार हैं की स्वास्थ्य स्थिति की जाँच करना।

गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भ्रमण किये जाने वाले घर–

- ऐसे परिवार/व्यक्ति, जो पिछले 15 दिवसों में यात्रा की हो।
- ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु से अधिक हो अथवा वह व्यक्ति जिसे पहले से डायबिटीज़, हाइपरटेन्शन, हृदय सम्बन्धी विकार एवं श्वसन सम्बन्धी बीमारी हो।
- ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सा इकाई से Quarantine अवधि पूर्ण कर वापस आया हो।

vk sir.go-com4

- ऐसे व्यक्ति जिन्हें Home Quarantine की सलाह दी गयी हो।
- ग्रामीण आशाओं द्वारा प्रतिदिन 25 से 30 घरों का भ्रमण किया जाना है। इस प्रकार आशा द्वारा कुल 8 दिवसों में अपने सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में गृह भ्रमण पूर्ण किया जाना है। शहरी आशाओं द्वारा कुल 16 दिवसों में अपने सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में गृह भ्रमण पूर्ण किया जाना है। जिन क्षेत्रों में आशायें नहीं हैं वहाँ अन्य किसी कर्मी / वालिन्टियर के द्वारा कार्य कराया जा सकता है।

4. आशा परिवार के सभी सदस्यों से बुखार, खाँसी अथवा साँस लेने में तकलीफ के विषय में जानकारी प्राप्त करेगी। यदि परिवार में किसी सदस्य में उक्त लक्षण नहीं हैं तो आशा परिवार को निम्न संदेश प्रदान करेगी–

- आप 14 दिनों तक घर में ही रहें। बाहर से आये व्यक्ति 14 दिनों तक अलग कमरे में रहें, अलग बिस्तर एवं अलग बर्तन का उपयोग करें।
- परिवार के अन्य सदस्यों को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए उनसे 2 मीटर (5 हाँथ) की दूरी बनाकर रखें।
- यदि बुखार, खाँसी अथवा साँस लेने में तकलीफ हो तो तुरन्त आशा से सम्पर्क करें
- हाँथों को बार–बार साबुन एवं पानी से अच्छी तरह धोयें।
- चेहरे, आँख, नाक, कान एवं मुँह को बार–बार न छुए।
- खाँसते, छींकते समय नाक–मुँह को रूमाल अथवा साफ कपड़े से ढ़कें।
- ऐसे परिवारों में आशा द्वारा एक सप्ताह बाद पुनः भ्रमण किया जाये। आशा द्वारा कम से कम दो दिवसो में दूरभाष से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।
- यदि परिवार में किसी व्यक्ति को बुखार, खाँसी है तो आशा द्वारा कम से कम तीन दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में पैरासिटामॉल उपलब्ध करायी जाये। इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी आशाओं को पर्याप्त मात्रा में पैरासिटामॉल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। उक्त परिवारों का आशा प्रत्येक तीन दिवसों पर भ्रमण करे अथवा दूरभाष से जानकारी प्राप्त करे। यदि इनमें से किसी को साँस लेने में तकलीफ है तो आशा द्वारा इसकी सूचना सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी / अधीक्षक को दूरभाष द्वारा तत्काल दी जायेगी, जिससे ऐसे सम्भावित रोगियो जाँच एवं उपचार ससमय कराया जा सके। यदि जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इन संक्रमित व्यक्तियों को चिन्हित कोरोना वायरस COVID-19 अस्पतालों में उचित उपचार के लिए रखा जायेगा। आशा इन संक्रमित व्यक्तियों के Contacts की सूची बनाने में मदद करेगी।

5. गृह भ्रमण के दौरान आशा आशा द्वारा उन सभी रोकथाम सम्बन्धी उपायों का पालन करना चाहिए जिनके बारे में समुदाय को जानकारी प्रदान कर रही है, जैसे–

- सुरक्षित दूरी बनाये रखना–आशा अपने भ्रमण के दौरान लोगों से कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाये रखे। किसी प्रकार की लोगों की भीड़ इक्ट्ठा न होने दें एवं लोगों को इस सम्बन्ध में जागरूक करें।
- बार–बार हाँथ धोना–गृह भ्रमण से पहले और बाद में आशा द्वारा आवश्यक रूप से हाँथ धोना चाहिए। इस हेतु आशा द्वारा स्वयं का साबुन प्रयोग कराना चाहिए।
- गृह भ्रमण के दौरान आशा परिवार के दरवाज़े की कुण्डी या ऐसे स्थान जहाँ लोगों के बार–बार हाँथ लगने की सम्भावना है, को न छुए।

6. आशा द्वारा अपने क्षेत्र के घरों का नियमित भ्रमण, बाहर से आये व्यक्तियों की Line Listing एवं Home Quarantine की सलाह वाले घरों का फालोअप करने पर माह अप्रैल एवं मई में प्रत्येक आशा को रू0 1000 प्रतिमाह अतिरिक्त प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी। उक्त कार्यों

का सत्यापन आशा संगिनी द्वारा किया जायेगा। जिन क्षेत्रों में आशा संगिनी का चयन नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में ए0एन0एम0 द्वारा आशाओ के कार्यों का सत्यापन किया जायेगा।

7. आशा संगिनी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में दो बार आशाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं को सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को अवगत करायेगी। इस हेतु आशा संगिनियों को माह अप्रैल एवं मई में रू0 100 प्रति अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण की दर से अधिकतम रू0 500 प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। अतिरिक्त भ्रमण के दौरान आशा संगिनी द्वारा क्षेत्र की आशाओं से कोरोना वायरस संक्रमण से सम्बन्धित सूचनाओं को साझा किया जाना है।

अतः आपसे आपसे अपेक्षा की जाती है उपरोक्त कार्य का क्रियान्वयन दिनांक 30.03.2020 से सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
30.3.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या–741(1)/पाँच–5–2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकि सहयोग इकाई।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. राज्य प्रतिनिधि, यूनीसेफ, उ0प्र0।
7. राज्य प्रतिनिधि, डब्ल्यू0एच0ओ0, उ0प्र0।
8. गार्डबुक।

आज्ञा से,
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव

vk sir.go-com4

संलग्नक–1

अन्य राज्यों / जनपदों से वापस आ रहे व्यक्तियों / परिवारों से सम्बंधित से संकलित सूचना प्रपत्र

(आशा द्वारा भरा जाये)

आशा का नाम...

गाँव का नाम...

ब्लाक का नाम...

जनपद का नाम..

क्रम संख्या	बाहर से लौटे व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	जाति	व्यक्ति कहॉ से आया है		गॉव में आने का दिनॉक	क्या व्यक्ति को इनमें से कोई लक्षण है? (हॉ / नही)			परिवार में सदस्यो की संख्या	कृत कार्यवाही (घर पर एकांतवास / संदर्भन)
				राज्य का नाम	जिला का नाम		बुखार	खॉसी	सांस लेने में तकलीफ		

संलग्नक–2

अन्य राज्यों / जनपदों से वापस आ रहे व्यक्तियों / परिवारों से सम्बंधित ब्लाक स्तर पर संकलित सूचना प्रपत्र

क्रम संख्या	जिला	ब्लाक	ग्राम का नाम	आशा का नाम	बाहर से लौटे व्यक्ति का नाम	पिता का नाम	जाति	व्यक्ति कहाँ से आया है		गॉव में आने का दिनॉक	क्या व्यक्ति को इनमें से कोई लक्षण है? (हॉ / नही)			परिवार में सदस्यो की संख्या	कृत कार्यवाही (घर पर एकांतवास / संदर्भन)
								राज्य का नाम	जिला का नाम		बुखार	खॉसी	सांस लेने में तकलीफ		